

रजिस्टर्ड

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।

पत्र संख्या: ज0सू0ऑनलाइन- 120/2025/SPMZR/R/2025/60128

दिनांक - जुलाई 02, 2025

आवेदिका महिमा मौर्या निवासी ग्राम गोरसर सरपती पिन कोड-231303

कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांकित 02.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है। आप द्वारा अपेक्षित सूचना के क्रम में थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर से सूचना प्राप्त की गई, प्राप्त सूचना/आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

तदनुसार आप अवगत हों।

संलग्नक - 02 वर्क

क्षेत्राधिकारी नगर
जनपद मीरजापुर

प्रतिलिपि - जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को अपने पत्र संख्या ज0सू0ऑनलाइन- 120/2025/SPMZR/R/2025/60128 दिनांकित 10.06.2025 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

रिपोर्ट थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर

पत्र संख्या ज0सू0आनलाईन अपील-120/2025 SPMZR/R/2025/60128 दिनांक फरवरी
10/06/2025

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी नगर (सहायक जनसूचना अधिकारी)

जनपद मीरजापुर।

विषय-कृपया ऑनलाइन रजि0न0 SPMZR/R/2025/80010 आवेदिका महिमा मौर्या निवासी
गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर पिन-231303मो0न0 9198010433 द्वारा सूचना
का अधिकार अधीनियम 2005 के तहत प्रेषित आवेदन पत्र दिनांकित 02/06/2025का मूल प्रार्थना
पत्र मागी गयी सूचना के सम्बंध में आँख्या।

महोदय,

आप के पत्र संख्या उपरोक्त के माध्यम से आवेदिका महिमा मौर्य उपरोक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधीनियम
2005 के तहत बिन्दूवार सूचना की अपेक्षा की गयी है जो निम्नवत है।

- 1-आवेदिका महिमा मौर्या निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर का मुकदमा NCR N0104/2024 धारा
115(2)352,BNSथाना स्थानीय पर पूर्व मे किया जा चुका है जिसकी विवेचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मारजापुर के
आदेश के क्रम में विवेचना प्रचलित है।
- 2- आवेदिका महिमा मौर्या निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के द्वारा माननीय न्यायालय में विवेचना हेतू
प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था जो थाना प्रभारी विन्ध्याचल महोदय द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर
विवेचना के लिए आदेश प्राप्त कर विवेचना प्रचलित है।
- 3- आवेदिका महिमा मौर्या निवासी गोडसर सरपती थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर की डाक्टर रिपोर्ट के अनुसार साधारण
चोट आयी है।चुकि डाक्टर महोदय द्वारा एक्सरा हेतू नहीं लिखा गया था।चुकि आवेदिका ने प्रयागराज में अपना एक्सरा कराना
बना रही है।विवेचना के क्रम में यदि फैक्चर का आना पाया गया तो अग्रिम कार्यवाही की जायेगी चुकि विवेचना प्रचलित है।
- 4-श्रीमान् जी मुकदमा पंजिकृत होने के बाद मजरुबा/मजरुब का मेडिकल सम्बन्धित सरकारी हास्पिटल में मेडिकल कराया जाता
है।डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार तथारेफर होने पर अन्य नामित हास्पिटल में कराया जाता है।चुकि पिडिता का मेडिकल रिपोर्ट
साधारण अंकित है।
- 5-यह सत्य है कि आवेदिका बराबर प्रार्थना पत्र व जनसूचना से मागती है।जो कि इनके मुकदमे में विवेचना प्रचलित है।दोष गुण
के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।



02/11/2025

(विनोद कुमार यादव)

उ0नि0

थाना विन्ध्याचल मीरजापुर